

दृष्टि एवं ध्येय

दृष्टि (विज्ञान)

चलचित्र अधिनियम 1952 और चलचित्र (प्रमाणन) नियम 1983 की उपबन्धों के अनुसरण करते हुए स्वच्छ व स्वस्थ मनोरंजन सुनिश्चित करना है।

ध्येय (मिशन)

1. समाज को अच्छा एवं स्वस्थ मनोरंजन, मनोविनोद एवं शिक्षा सुनिश्चित करना ।
2. प्रमाणन प्रक्रिया को पारदर्शिता एवं उत्तरदायी बनाना ।
3. बैठकों एवं कार्यशालाओं के जरिए सदस्यों, मीडिया एवं फिल्म निर्माताओं को सेंसरशिप मार्गदर्शिका तथा फिल्मों की वर्तमान ट्रेन्ड के बीच में सामंजस्य स्थापित करने से संबंधित जानकारी देना
4. प्रमाणन प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण एवं मूलभूत सुविधाओं के उन्नयन के जरिए प्रमाणन-प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकी अपनाना।
5. स्वैच्छिक प्रकटीकरण, ई-शासन का कार्यान्वयन, आर.टी.आय प्रश्नों का सही उत्तर और वार्षिक रिपोर्ट के मुद्रण इत्यादि से बोर्ड के कार्यकलापों की पारदर्शिता बरकरार रखना ।
6. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को एक श्रेष्ठतम केन्द्र में विकसित करना।